(244) (351)

न्यायालयश्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾ कैम्प रीवा ﴿ म॰प्र॰

==============

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

C

1- धीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री गोविन्द्र प्रताप सिंह परिहार,

2- लवकेश प्रताप सिंह तनय श्री गोविन्द्र प्रताप सिंह परिहार दोनों निवासी ग्राम पांसी राजस्व निरीक्षक मंडल जसो तह० नागौद जिला सतना म॰प्र॰ ----निगराकारगण

बनाम

1- सुरेन्द्र सिंह तनय श्री जयकरण सिंह परिहार,

2- भूपेन्द्र सिंह तनय श्री प्रतिपाल सिंह परिहार,

3- शिवनाथ सिंह तनय श्री दिलराज सिंह ﴾मृतक﴿ सभी निवासी ग्राम पांसी तह० नागौद रा॰नि॰मं॰जसो जिला सतना म॰प्र॰ -----------गैरनिगराकारगण

4183-III/13

अधिवक्ता श्री शैलेश तिवारी द्वारा प्रस्तुत। दिना. 09.10.13

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागौद के प्रकरण क्र॰ 66/अपील/2010-11 संलग्न प्रकरण क्र॰ 76/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक- 30.9.2013 के खिलाफ ।

==

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰

==

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर श्रीमान् से विनयी है कि :-

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि निगराकार अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त- जसो के समक्ष धारा- 109,110 म॰प्र॰ भू॰सं॰ के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में अभिवचन किया कि ग्राम पांसी की आ॰नं॰ 315/2 रकबा 10 विश्वा, आ॰नं॰ 321 रकबा 1 बीघा 3 विश्वा, आ॰नं॰ 323 रकबा 17 विश्वा, आ॰नं॰ 352 रकबा 2 विश्वा, आ॰नं॰ 477 रकबा 12 विश्वा, आ॰नं॰ 478 रकबा 7 बीघा 9 विश्वा, आ॰नं॰ 545 रकबा 8 विश्वा, आ॰नं॰ 546 रकबा 6 बीघा 14 विश्वा, आ॰नं॰ 549 रकबा 1 बीघा 13 विश्वा, आ॰नं॰ 527 रकबा 5 बीघा 16 विश्वा, आ॰नं॰ 529/1ग रकबा 3 बीघा 18 विश्वा, आ॰नं॰ 336/661 रकबा 2 विश्वा कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 19 विश्वा के भूमि स्वामी मालिक एक मात्र शिवनाथ सिंह परिहार रहे है ।

2..........पर

लवकेश प्रताप सिंह धीरेन्द्र सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग04183–II / 2013 जिला–सतना

धीरेन्द्र प्रताप सिंह / सुखेन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नगौद के प्रकरण क्रमांक 66 / अपील / 2010–11 संलग्न प्रकरण क्रमांक 76 / अपील / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	